न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 03/2024/अपील

चौथमल पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी कटरावल तहसील व जिला सीकर (राज.)

—अपीलांट

बनाम

1. हरलाल सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी कुडली तहसील वजिला सीकर
2. गणपत पुत्र मौजा
3. जगदेव पुत्र दल्ला
4. गंगाधर पुत्र दल्ला
5. किस्तुरी पत्नि बनवारी
6. अरविन्द पुत्र बनवारी

   जाति जाट निवासीगण कटरावल तहसील व जिला सीकर
7. तहसीलदार महोदय सीकर जिला सीकर

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः—

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील विरूद्ध संशोधित आदेश दिनांक 18.12.2023 तहसीलदार सीकर बउनवानी प्रकरण हरलाल सिंह बनाम गंगाधर आदि मु.नं. 8/2023

निर्णय

दिनांकः 06 अगस्त, 2024

1. अपीलांट **चौथमल** की ओर से यह अपील **तहसीलदार सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2023 बउनवानी हरलाल सिंह बनाम गंगाधर आदि में पारित संशोधित आदेश दिनांक 18.12.2023** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

   (1) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरलाल सिंह ने एक आवेदन तहसीलदार सीकर के यहां इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 1097 तन ग्राम कटराथल की सीमा में अवस्थित है जो हमारे पूर्वजोंको काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मिली हुई है लेकिन तत्कालीन रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण हमने

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

इसका न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्तीकरण का वाद दायर कर रखा है जिसमें प्रार्थी हरलाल को उसके हिस्से से बेदखल नहीं किये जाने के आदेश दिनांक 13.06.2012 को पारित किये गये हैं लेकिन अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.07.2023 को हरलाल के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। हरलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का था परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार ने श्रवणाधिकार के बाहर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट/अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। जिस पर अपीलांट अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व अपना जबाब मय आपत्ति आवेदन पेश किया गया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में बंटवारे का वाद विचाराधीन होने व मौके पर खसरा नम्बर 1097, 1099, 1100, 1103 से होकर बिना बाधा के रास्ता चालू होना जाहिर किया। अपीलांट के कथनों की पुष्टि निर्णय दिनांक 27.09.2023 में स्पष्ट रूप से होती है। उक्त निर्णय से यदि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी व्यथित था तो उक्त आज्ञा अपीलेबल थी। उक्त आज्ञा के रहते रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने दिनांक 19.10.2023 में आवेदन रिव्यू अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू आवेदन को न तो दर्ज किया न अपीलांट व अन्य प्रभावित व प्रकरण के पक्षकारों को कोई नोटिस व सूचना दिए ही आदेश दिनांक 18.12.2023 पारित कर दिया।

(2) अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनकी पैत्रिक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1097 से 1107 तन ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरलाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां उनवानी दावा हरलाल बनाम देवीसिंह आदि मु.नं. 35/2009 कर रखा है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 4 गंगाधर का बंटवारे बाबत काउण्टर क्लेम विचाराधीन है तथा बंटवारे का दूसरा वाद उनवानी देवीसिंह बनाम हरलाल आदि मु.नं. 140/2020 विचाराधीन है। उपरोक्त आशय की आपत्ति अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 गंगाधर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की व दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के आवेदन व जबाब व दस्तावेज का अवलोकन कर अपना विस्तृत निर्णय दिनांक 27.09.2023 को पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां विचाराधीन बंटवारे का वाद होने की दशा में प्रकरण में कार्यवाही बंद (ड्रोप) करने की आज्ञा पारित कर दी। जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट अपील/निगरानी की

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होते हुए उसने आवेदन रिव्यू प्रस्तुत किया गया है।

(3) मौके पर निर्बाध रास्ता चालू होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने पैत्रिक संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि में सुखाचार का अधिकार मानकर काल्पनिक रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू आवेदन प्रस्तुत होने पर न्यायालय की मेण्डेटरी ड्यूटी थी कि प्रकरण को विविध में अलग दर्ज कर अपीलांट व अन्य पक्षकारों को विधिवत नोटिस देते व उनका जबाब व सबूत साक्ष्य लेकर ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट को आज्ञा जेर अपील पारित करने से पूर्व कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई है।

(4) अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य सक्षम न्यायालय में बंटवारे के प्रकरण विचाराधीन है व उक्त बंटवारे में रास्तों को मध्य नजर रखते हुए ही प्रकरणों का निस्तारण होना है संयुक्त खाते कब्जे काश्त की भूमि में धारा 251 आरटीएक्टके प्रावधान ही लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा एक स्पिकिंग आज्ञा नहीं है। किस खसरा नम्बर में व कितनी चौड़ाई का रास्ता व अवरूद्ध हटाया जाये अपनी आज्ञा में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश पारित नही किया है।

(5) अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 18.12.2023 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का आवेदन रिव्यू मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. संख्या 1 की ओर से वकील श्री महेश कुमार जांगिड़ उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया गया।

3. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

(1) अप्रार्थी संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था उसके द्वारा जवाबदेही प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार द्वारा मौका देखे जाने के समय उपस्थित था। समस्त कार्यवाही प्रार्थी चौथमल की उपस्थिति में हुई है। बंटवारे का दावा उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

तहसीलदार सीकर ने कुछ तथ्यों पर विचार किये बिना ही निर्णय दिनांक 27.09.2023 पारित कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा निर्णय में छूटे हुये बिन्दुओं का वर्णन रिव्यू आवेदन में करते हुये मामले पर पुनः विचार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पूर्व में दिनांक 07.07.2023 को गिरदावर व हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर चौथमल द्वारा हस्ताक्षर कर यह अंकित किया गया है कि पुराने रास्ते को बंद कर नया रास्ता दिया गया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में आदेश की पालना में दिनांक 29.11.2023 को नायब तहसीलदार सीकर, हल्का पटवारी कटराथल व गिरदावर कटराथल मौके पर गये जहां अन्य सहखातेदारों के साथ चौथमल मौजूद था। जहां चौथमल द्वारा कथित प्रचलित रास्ता दिखाया गया एवं अप्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रचलित रास्ते का स्थान दिखाया गया। मौके की रिपोर्ट बना कर उभयपक्ष के हस्ताक्षरों के साथ–साथ अन्य खातेदारों, अड़ोस, पड़ोस के हस्ताक्षर रिपोर्ट पर करवाये गये, तत्पश्चात सुनवाई हेतु उभयपक्षकारों को तहसील मे उपस्थित रहने हेतु दिनांक 05.12.2023 के लिये पाबंद किया गया। चौथमल व अन्य समस्त रेस्पोडेंट उपस्थित हुये। दिनांक 12.12.2023 को चौथमल ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त की कुछ कागजात छूट जाने पर दिनांक 13.12.2023 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की गई। नकल रजिस्टर में चौथमल द्वारा नकल प्राप्त किये जाने के हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा चौथमल द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत मूल प्रार्थना तहसील कार्यालय में मौजूद है। दिनांक 18.12.2023 को सभी पक्षकारों को रास्ते के सुखाधिकार के प्रश्न पर सुन कर पत्रावली दिनांक 18.12.2023 को निर्णय हेतु पटल पर ली गई तथा दिनांक 18.12.2023 को ही मामले के सभी तथ्यो का विवेचन विश्लेषण मूल्यांकन कर न्याय संगत निर्णय पारित किया गया है।

(2) मामला सुखाचार से ज्यादा आपसी सहमति की व्यवस्था भंग करने का है। तहसीलदार भू धारक है। इस हैसियत में वे काश्तकारों के आवागमन के अधिकार व्यवस्थित करने का अधिकार रखते है। पूर्व में पक्षकारों के पूर्वजों द्वारा करीब 70 वर्ष पूर्व विवादित भूमि सहित अपनी अन्य भूमियों का आपसी सहमति से बाह्मी बंटवारा कर आवागमन हेतु एक रास्ता कायम किया गया था जिससे होकर अप्रार्थी व उसके परिवाजन कदीम से आवागमन करते रहे हैं। इस रास्ते का अंकन वाद संख्या 342/2007 शिशराम बनाम गणपत आदि में जारी पीडी रिपोर्ट तथा दावा संख्या 35/2009 हरलाल बनाम देवीसिंह में अप्रार्थी गंगाधर के द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह रास्ता ख.न. 1103 से चलकर रेस्पोडेंट

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

की आवासीय ढाणी तक जाता है। रास्ते को गुगल मेप रिपोर्ट व यूआईटी, सीकर के प्लान 4 में दर्शाया गया है। जिसे प्रार्थी अपीलान्ट सीमित या बंद करने का अधिकारी नहीं है।

(3) तहसीलदार का आदेश प्रवर्तन योग्य होता है। प्रार्थी आवेदक ने पक्षकारों के पूर्वजों द्वारा करीब 70 वर्ष पूर्व किये गये बाह्मी बंटवारे के समय कायम रास्ते का अस्तित्व मिटा कर प्रार्थीगणां के घरों के अंदर से होकर तीन चार घुमाव कायम कर नया असुविधाजनक एवं अधिक दूरी का मात्र तीन फिट चौड़ा रास्ता बताया है जो प्रार्थीगण के सहयोगी गंगाधर पुत्र दुलाराम, अरविन्द पुत्र बनवारी लाल, जगदेव पुत्र दल्लाराम, गणपत पुत्र भोजा के घरों में आवागमन का रास्ता है। उक्त रास्ते के सम्बंध में मुकामी पुलिस थाना एसएचओ दादिया की रिपोर्ट है उक्त रास्ता प्रार्थीगण की एकांता भंग करेगा ओर प्राइवेसी के बाबत पक्षकारों के बीच रोज विवाद होगा। अप्रार्थी हरलाल ने आज तक पूर्वजों के जमाने से प्रचलित रास्ते का ही उपयोग किया है। अप्रार्थी हरलाल ने चौथमल आदि अन्य पक्षों द्वारा कायम किये गये नये रास्ते का उपयोग नहीं किया है। जिसका अंकन मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2023 में अंकित है।

(4) अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहिन मिथ्या निराधार ओर झूठे मामले को रंगत देने की गरज से प्रस्तुत किये जाने के कारण सव्यय खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

4. हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं ने उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जवाब आवेदन तथा दस्तावेजात में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये।

वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 08/2023 बउनवानी हरलाल सिंह बनाम गंगाधर वगै. अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. में आदेश दिनांक 27.09.2023 पारित किया गया जिसमें ग्राम कटराथन के खसरा नम्बर 1104 में आने जाने हेतु नया रास्ता चालू होने व उपरोक्त संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में बंटवारे का वाद विचाराधीन होने की दशा में प्रकरण कार्यवाही ड्रॉप करने के आदेश पारित किये गये हैं। रेस्पो. द्वारा रिव्यू आवेदन पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

कार्यालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

सीकर द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज किये बिना एवं अपीलांट को सूचित किये बिना ही पुनः रिव्यू आदेश दिनांक 18.12.2023 पारित कर पूर्व में किये गये आदेश को बदल दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू आदेश में पैत्रिक संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि में सुखाचार का अधिकार मानकर काल्पनिक रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में विवादित आराजी के सम्बन्ध में बेटवारे के प्रकरण विचाराधीन हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 18.12.2023 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का रिव्यू आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो. की ओर से उपस्थित वकील श्री महेश कुमार जांगिड़ ने जवाब आवेदन में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि, रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, जिसपर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार सीकर के नाम से मार्क करते हुए आवश्यक कार्यवही करने के निर्देश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 05.07.2023 में अपीलांट चौथमल द्वारा रास्ता बंद करने का उल्लेख किया गया है। भू.अ.नि. की रिपोर्ट दिनांक 07.07.2023 में भी अंकित किया गया है कि पूर्व में प्रचलित रास्ता था जिसको बंद कर दिया गया है। यूआईटी, सीकर के द्वारा प्रस्तावित ले–आउट प्लान में भी पूर्व में प्रचलित रास्ता दर्शाया गया है तथा थानाधिकारी की रिपोर्ट में भी पुराने रास्ते का अंदेशा होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2023 को आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण के परिचालन भाग में कुछ त्रूटियां रह गई थीं, जिसके आधार पर रेस्पो. के द्वारा रिव्यू का आवेदन पेश किया गया है। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की जांच हेतु नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया। नायब तहसीलदार दिनांक 29.11.2023 को भू.अ.नि. एवचं पटवारी हल्का के साथ मौके पर गये थे उस समय अपीलांट मौके पर उपस्थित था। जिससे यह स्पष्ट है कि रिव्यू आवेदन एवं उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांट के संज्ञान में थी। अपीलांट के द्वारा स्वयं अधीनस्थ तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 12.12.2023 को नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त की हैं। अपीलांट की अपील स्पष्टतः मियाद बाहर भी है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

5. वकील अपीलांट ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:–

i. RLW 2007(1) RJ Page No. 204 to 208 (Board of Revenue for Rajasthan, Milba bai & Ors. V/S State of Rajasthan, Review Petition No. ...../603/2006/TA/Sriganganagar, decided on 9th March, 2006)

ii. RLW 2007(1) RJ Page No. 397 to 400 (Board of Revenue for Rajasthan, Girdhar SIngh V/S State of Rajasthan, Review/LR/964/2006/ Alwar, decided on 16th June, 2006)

iii. RLW 2007(1) RJ Page No. 533 to 536 (Board of Revenue for Rajasthan, Ramulal @ Ramnath & Anr. V/S Jawahar & Ors., Review/3871/2005/ Alwar, decided on 21st June, 2006)

iv. RLW 2007(1) RJ Page No. 616 to 619 (Board of Revenue for Rajasthan, Kesari Lal (deceased) through L.Rs. V/S State of Rajasthan, Review/3871/2005/ Alwar, decided on 21st June, 2006)

v. RRD-14.02.2010 Rameshwar V/S L.Rs. of Ruda & anr. Page No. 130 to 132

वकील रेस्पो. ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:–

i. RRT 2012(2) Page No. 924 to 927, Phool Chand & Anr. V/S Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer & Anr.

ii. RRT 2019(1) Page No. 32 to 34, Dhanne Singh V/S Ramavtar

iii. RRT 2011(2) Page No. 802 to 804, Lalchand V/S Yagyamitra Singh

iv. RRT 2012 (2) Page No. 1154 to 1158, Hem Raj V/S Board of Revenue

v. RRT 2010 (2) Page No. 905 to 907, Surjaram V/S Tehsildar Udaipurwati

vi. RRT 2010(1) Page No. 83 to 86, Harveer & Ors. V/S Harisingh

vii. RRT 2018-19 (Supp.) Page No. 556 to 562, Bhagwanpuri V/S Daulal (D) Smt. Uma Devi

viii. RRT 2018-19 (Supp.) Page No. 559 to 581, Omprakash V/S Devilal

ix. High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur, S.B.Civil Writ Petition No. 10456/2019 Premdas V/S Mangi Lal Decision Reserve Dated 09.02.2023 Pronounced on 21.02.2023

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मापूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन की जांच हेतु नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार मौके की स्थिति दिनांक 27.09.2023 को पारित आदेश में वर्णित तथ्यों से भिन्न होना अंकित किया है। इसका अभिप्राय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के Operational Part (परिचालन भाग) में भिन्नता पाये जाने पर प्रकरण में संशोधित आदेश दिनांक 18.12.2023 पारित किये गये हैं।
- प्रकरण के Procedural Part (प्रक्रियात्मक भाग) से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया गया परन्तु रेस्पो. के रिव्यू आवेदन पर की गई नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रकरण अपीलांट के संज्ञान में था। मियाद के सन्दर्भ में अपीलांट का कथन मिथ्या प्रतीत होता है।
- इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवायी के समुचित अवसर दिये गये हैं। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्टों के आधार पर यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 18.12.2023 को बहाल रखना उचित समझता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक **06 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर